| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | देवधर | | |
| 1. | जन सुविधाएं | 1992-93 | 2.57 |
| 2. | यात्रिका | 1993-94 | 21.93 |
| 3. | पर्यटक परिसर | 1994-95 | 21.93 |

(घ)और (ड.) इण्डियन एअरलाइंस के रिकार्ड के मुताबिक भागलपुर में उपलब्ध रनवे केवल 3300 फीट हैं और वहां इण्डियन एअरलाइंस बेडे का कोई भी विमान प्रचालित नहीं किया जा सकता। विमान की कमियों के कारण पटना होकर भागलुर के लिए वायुदूत विमान सेवाएं चालू करना भी फिलहाल संभव नहीं हैं।

**SC/ST officers placed at IGI Airport**

1007. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of Group A Scheduled Caste officers in the rank of Additional/Deputy/Assistant Collector of Customs has been posted in the airpool of IGI Airport, New Delhi for the last 15 years;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether Government assure that atleast 25 per cent of the posts in airpool of IGI Airport, New Delhi are filled by SC/ST Officers; and

(d) by when the SC/ST Additional Deputy/Assistanct Collector be posted in airpool of IGI Airport, New Delhi

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): (a) to Information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the House.

**सम्पत्ति के क्रय या विक्रय की सीमा में वृद्धि**

1008. **श्री सोमपाल** : क्या वित्त यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के महानगरों में सम्पत्ति के क्रय और विक्रय की निर्धारित सीमा में हाल ही में वृद्धि की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xx-ग के अधीन अचल संपत्तियों की पूर्व क्रयाधिकार खरीद स्कीम की प्रयोज्यता के लिए सीमा दिनांक 12.7.1995 की अधिसूचना से का.आ. 636 (अ) , द्वारा बढ़ा दी गयी हैं।

(ख) महानगरों के लिए 1.8.1995 से लागू संशोधित सीमाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(i) बंबई: प्रत्यक्ष निर्धारण में 75 लाख रू. से अधिक की संपत्ति।

(ii) दिल्ली: प्रत्यक्ष निर्धारण में 50 लाख रू. से अधिक की संपत्ति।

(iii) कलकत्ता : प्रत्यक्ष निर्धारण में 25 लाख रू. से अधिक की संपत्ति।

(iv) मद्रास: उपरोक्त।

लोक लेखा समिति और स्थायी समिति वित्त द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर और 1.10.1986 से, जब मूल सीमा निर्धारित की गयी थी, वास्तविक सम्पदा मूल्य में वृद्वि के कारण यह सीमाएं बढ़ा दी गयी हैं।

**मध्य प्रदेश मे नये हवाई अड्डे बनाया जाना**

1009. **श्री अजीत जोगी** :

**श्री मूलचन्द मीणा**:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में नये हवाई अड्डे बनाने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।